उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश
जबलपुर
माननीय न्यायाधीश श्री अचल कुमार पालीवाल
के समक्ष

दांडिक अपील कमांक 1264 / 1999

बुलाकी
विरूद्ध
मध्य प्रदेश राज्य

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एन. वर्मा

प्रत्यर्थी की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री प्रदीप गुप्ता

दिनांक : 01.07.2025 को आरक्षित

दिनांक : 04.07.2025 को घोषित

यह अपील निर्णय के लिए सुने और आरक्षित रखे जाने के बाद आज न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय सुनाया :-

निर्णय

अपीलार्थी ने यह अपील दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 374(2) के अन्तर्गत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.) द्वारा सत्र प्रकरण कमांक 28 / 1999 में पारित निर्णय दिनांक 15.05.1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी / आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 325 के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं चार हजार रूपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी नन्दराम जो ग्राम लसूडिया कांगर का निवासी है, की जमीन के पास ही अभियुक्त की जमीन है। घटना

दिनांक 03.11.1998 को फरियादी नन्दराम की जमीन पर अभियुक्त नाली खोद रहा था तब उसने मना किया तो अभियुक्त बुलाकी ने कहा कि तेरी मां को चोंदू यहां पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है, आज तुझे जान से खत्म कर दूंगा और पत्थर उठा कर फरियादी के सिर पर मारा जो उसके माथे पर लगा और खून बहने लगा जिससे फरियादी गिर पड़ा। अभियुक्त फिर पत्थर फैकने लगा। फरियादी के चिल्लाने पर अभियुक्त बुलाकी बुरी–बुरी गालियां देने लगा और यह कहते हुये चला गया कि आज तो बच गया है यहां आया तो जान से खत्म कर देगा। घटना की जानकारी फरियादी ने इमरत लाल और बद्री को दी और उनके साथ थाना इछावर में रिपोर्ट लिखायी जिसके आधार पर अपराध अन्तर्गत धारा 336,294,506 भा.द.सं. का पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत का मेडीकल परीक्षण कराया गया। पत्थर जिससे फरियादी को चोट पहुंचायी गई थी को जप्त किया गया। आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण होने पर अभियुक्त के विरूद्ध अभियोगपत्र पेश किया गया। न्याययिक मजिस्ट्रेट द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 209 के अन्तर्गत यह प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पित किया गया ।

03. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 307, 506 (बी) भा.दं.स. के अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढकर सुनाये समझाये गये, तो आरोपी ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की तदनुसार आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।

04. अभियोजन ने आरोपी के विरूद्ध आरोप को प्रमाणित करने के लिये 08 अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित किया एवं प्र.पी. 1 से प्र.पी. 08 के दस्तावेज पेश किये हैं। धारा 313 द.प्र.स. के अन्तर्गत परीक्षण में आरोपी ने अभियोजन घटना से इंकार करते हुये व्यक्त किया है कि वह निर्दोष है, उसे रंजिश रखने के कारण फंसाया गया है। प्रतिरक्षा में खुशीलाल (ब.सा.01) एवं अमर सिंह (ब.सा.02) की साक्ष्य करायी है।

05. विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुये अपीलार्थी/आरोपी को धारा 325 भा.दं.सं. के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुये उपरोक्तानुसार दण्डादेश से दंडित किया है।

<u>अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क</u> :-

06. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले में घटना अचानक नाली खोदने के विवाद को लेकर हुई है। अपीलार्थी/आरोपी पर केवल एक ही प्रहार करने का आरोप है। घटना के समय अपीलार्थी/आरोपी के पास कोई हथियार नहीं था। उसके द्वारा मौके पर से पत्थर उठाकर मारना बताया गया है। फरियादी/आहत विश्वसनीय साक्षी नहीं है, उसके कथन विरोधाभासी है। चिकित्सक साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत को आयी चोट सिर के बल ऊचें स्थान पर से गिरने से आ सकती है। बचाव साक्षी खुशीलाल के कथन के कथन से स्पष्ट है कि फरियादी ने अपीलार्थी की मारपीट लाठी से की थी। उस दौरान फरियादी गिर पडा था, जिससे उसे चोट आई थी। आरोपी द्वारा भी फरियादी के विरूद्ध प्रदर्श डी-2 की रिपोर्ट लेख करायी गई थी लेकिन पुलिस द्वारा कोई प्रकरण दर्ज नहीं किया गया । फरियादी पैसे वाला होकर प्रभावशाली व्यक्ति है और उसने अपीलार्थी/आरोपी को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया है। विवादित जमीन पर अपीलार्थी/आरोपी को कब्जा 5-6 साल पहले से चला आ रहा है। अपीलार्थी/आरोपी उसमें नाली खोद रहा था। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का न्यायोचित मुल्यांकन करते हुये न्यायोचित निष्कर्ष नहीं निकाला है। यह भी तर्क किया गया है कि अपीलार्थी/आरोपी लगभग पांच माह जेल में रहा है। उपरोक्त सम्बन्ध में अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्त ने न्याय दृष्टान्त **शोभ्या उर्फ शोभाराम वि. मध्यप्रदेश राज्य (दांडिक अपील क्रमांक 1472/2014 निर्णय दिनांक 21.09.2019)** का अवलम्ब लिया है। अतः अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का विकल्प में यह भी तर्क है उसके द्वारा भोगी गयी कारावास की सजा से दंडित किया जाये। अतः अपील स्वीकार

कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दोषसिद्धि को अपास्त किया जाये । अतः अपीलार्थी / आरोपी को दोषमुक्त किया जाये।

प्रत्यर्थी / शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्क :—

07. प्रत्यर्थी / राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आहत साक्षी एवं अन्य अभियोजन साक्षी ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया है। बचाव साक्षी विश्वसनीय नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उचित रूप से दोषी पाते हुए दण्डित किया है। उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

08. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष :—

09. जहां तक घटना दिनांक,समय व स्थान पर अपीलार्थी / आरोपी द्वारा आहत नंदराम के साथ मारपीट कर उपहति कारित करने का प्रश्न है ? अभियोजन साक्षी / आहत नन्दराम (अ.सा.04) का मुख्य परीक्षण में कथन है कि वह आरोपी को जानता है। 6 माह पहले दिन के दो ढाई बजे की बात है वह कुएं पर फिरने के लिये जा रहा था। उसकी जमीन के बगल में अभियुक्त बुलाकी की जमीन है। बुलाकी नाली खोद रहा था तो उसने नाली खोदने से मना किया तो बुलाकी ने उससे कहा कि मेरी जमीन है तब उसने कहा कि मेरी जमीन है । इस पर अभियुक्त उसे गालियां देने लगा जब वह पास गया तो अभियुक्त ने पत्थर उठाकर उसे मारा जो उसे माथे के बीच में लगा जिससे खून निकलने लगा तो वह वहीं पर बैठ गया। पत्थर मारने के बाद अभियुक्त कुछ नहीं बोला और वहां से चला गया। दो—एक बच्चीयां अपने पिता को रोटी देकर लौट रही थी जिन्होने उसे देखा और उसके घर जाकर खबर दी तब उसके लडके बद्री प्रसाद और इमरतलाल आये और उसे

रिपोर्ट कराने इछावर थाने ले गये जहां उसने रिपोर्ट की थी जो प्रदर्श पी–6 है। रिपोर्ट करने के बाद उसे इछावर अस्पताल ले गये थे जहां से उसे सीहोर अस्पताल भेजा गया था।

10. अभियोजन साक्षी नाथूराम(अ.सा.02), रेखा (अ.सा.05), इमरतलाल (अ.सा.06) के कथनों से दर्शित होता है कि उन्होने अभियोजन साक्षी आहत नंदराम के लगभग अनुरूप ही कथन किया है।

11. अतः विचारणीय यह है कि क्या उक्त अभियोजन साक्षीगण प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर पूरे उतरे हैं और विश्वसनीय साक्षी है।

12. अभियोजन साक्षी आहत नंदराम (अ.सा.04), नाथूराम (अ.सा.02), रेखा (अ.सा. 05) एवं इमरतलाल (अ.सा.05) के प्रतिपरीक्षण में के कथनों से दर्शित होता है कि अपीलार्थी/आरोपी की ओर से उक्त अभियोजन साक्षीगण का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है। लेकिन उनके प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये हैं कि जिससे यह दर्शित हो कि उक्त अभियोजन साक्षीगण विश्वसनीय साक्षीगण नहीं है या उनकी परिसाक्ष्य अन्यथा संदेहास्पद है। इसके अलावा उक्त अभियोजन साक्षीगण के न्यायालयीन कथनों में परस्पर तथा उनके न्यायालयीन कथनों एवं पुलिस कथनों में भी कोई तात्विक विरोधाभास, विसंगतियां या लोप नहीं है। इसके अलावा अन्यथा भी उक्त अभियोजन साक्षीगण की परिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य नहीं है कि जिससे उनकी परिसाक्ष्य संदेहास्पद होना दर्शित हो, या अन्यथा भी साक्षी अविश्वसनीय होना दर्शित हो। यह सही है कि साक्षी नाथूराम, रेखा एवं इमरतलाल घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है लेकिन वे घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंचे और उन्हें घटना स्थल पर घटना के सम्बन्ध में जानकारी मिली है। अतः न्यायालय का मत है कि उक्त अभियोजन साक्षीगण पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी है और वे प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर पूरी उतरे है।

13. अभियोजन साक्षी नंदराम (अ.सा.04) एवं विवेचक प्रदीप मिश्रा (अ.सा.07) के कथन एवं प्र.पी.–6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से दर्शित होता है कि घटना दिनांक 03.11.98 के दिन के दो ढाई बजे की है जिसकी रिपोर्ट घटना के तत्काल बाद ही दिनांक 03.11.98 को 15.25 बजे लेख करायी गई है। इस प्रकार घटना के तत्काल बाद प्रदर्श पी–6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख करायी गई है। प्रदर्श पी–6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आहत नंदराम के न्यायालयीन कथन में कोई तात्विक विरोधाभास, विसंगतियां या लोप नहीं है। अतः प्र.पी. 6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट से भी अभियोजन साक्षी नंदराम के कथन की तात्विक विशिष्टियों में सम्पुष्टि होती है।

14. जहां तक चिकित्सीय साक्ष्य का प्रश्न है? अभियोजन साक्षी डा. एस.सी. जायसवाल (अ.सा.01) के कथन एवं उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी–1/एक्सरे प्लेट प्रदर्श पी–2 तथा डा. अशोक जुनेजा (अ.सा.03) के कथन व उनकी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 5 के अवलोकन से दर्शित्र होता है कि डा. अशोक जुनेजा द्वारा आहत नंदराम का चिकित्सीय परीक्षण घटना के तत्काल बाद किया गया है और परीक्षण में आहत नंदराम के सिर पर कटा फटा घाव व आंखों के उपर सूजन पाया था तथा डा. एस.सी. जायसवाल के द्वारा आहत के फ्रंटल भाग पर अस्थिभंग होना पाया गया था।

15. अभियोजन साक्षी डा.एस.सी.जायसवाल एवं डा.अशोक जुनेजा के प्रतिपरीक्षण में के कथनों से दर्शित होता है कि उन्हें प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि परीक्षण के समय आहत को कोई चोट/अस्थिभंग नहीं था। केवल यह सुझाव दिया गया है कि आहत को चोट गिरने से आ सकती है। इसी प्रकार अन्य अभियोजन साक्षीगण को ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर आहत को कोई चोटें नहीं थी। चिकित्सीय साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आहत को जिस प्रकार चोट आना बताया गया है उस प्रकार चोट आना संभव है। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से आहत अभियोजन साक्षी नंदराम के कथन की तात्विक विशिष्टियों में सम्पुष्टि होती है।

16. प्रदर्श पी–6 की प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा अभियोजन साक्षी नाथूलाल , नंदराम, इमरतलाल एवं बचाव साक्षी खुशीलाल (ब.सा.01) के कथनों से दर्शित होता है कि घटना दिनांक,समय व स्थान पर उभय पक्षों के मध्य झगडा नाली खोदने पर से हुआ है।

17. अभियोजन साक्षी नंदराम के अनुसार नाली शासकीय जमीन पर खुदी थी और नाली की जगह पर अभियुक्त के पिता खुशीलाल का कब्जा है जो घटना के 5–6 साल पूर्व से है और उसी पर नाली खोदी गई थी। अभियोजन साक्षी नंदराम के अनुसार उसकी जमीन के बगल में अभियुक्त बुलाकी की जमीन है। अभियुक्त नाली खोद रहा था जब उसने मना किया तो झगडा हुआ था। बुलाकी ने कहा कि उसकी जमीन है तब उसने कहा कि उसकी जमीन है। इसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि बुलाकी जिस जगह नाली खोद रहा था उस जगह उसका कब्जा है यह कहना गलत है कि उस जगह से लगी जमीन पर बुलाकी का कब्जा है। यह सही है कि उसके द्वारा रोकी गई जमीन के पास ही सरकारी जमीन पर बुलाकी के पिता खुशीलाल का कब्जा है। यह कहना गलत है कि बुलाकी कुंए से पानी लाने के लिये नाली खोद रहा था। यह सही है कि नदी में बारिस का पानी निकालने के लिये नाली खोद रहा था।

18. अभियोजन साक्षी इमरत लाल के अनुसार बुलाकी उनकी जमीन पर नाली खोद रहा था जब नंदराम ने मना किया कि जमीन उनकी है तो बुलाकी ने मारपीट किया था। इसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि यह सही है कि बुलाकी उनकी खुद की जमीन पर नाली खोद रहा था। वह नहीं बता सकता कि बुलाकी का कब्जा कितने साल से है। बुलाकी उसकी जमीन में नाली खोद रहा था। नंदराम ने उसे बताया था कि उन्होनें बुलाकी से कहा कि उनकी जमीन है नाली मत खोदो।

19. इस प्रकार पक्षकारों के मध्य इस सम्बन्ध में किंचित विरोधाभास है कि बुलाकी नाली स्वयं के कब्जे की जमीन पर खोद रहा था अथवा नंदराम के कब्जे की जमीन पर नाली खोद रहा था। लेकिन अभिलेख पर पर की साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि झगडा

बुलाकी द्वारा नाली खोदने पर से हुआ है।

20. जहां तक अपीलार्थी/आरोपी के बचाव का प्रश्न है ? अभियोजन साक्षी नंदराम एवं इमरतलाल को प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझावों एवं बचाव साक्षी खुशीलाल के कथन एवं प्रदर्श डी–1 के रोजनामचा सान्हा से दशित होता है कि अपीलार्थी/आरोपी का बचाव यह है कि घटना दिनांक समय व स्थान पर नंदराम ने अपीलार्थी/आरोपी की डंडे से मारपीट की थी और भागते समय गिरने से उसे चोट आयी थी। अभियोजन साक्षी नंदराम ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके हाथ में डंडी थी लेकिन साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि बुलाकी नाली से निकल का भागा, तो वह उसे देख कर भागा तो वह नाली में गिर गया था । अभियोजन साक्षी इमरत लाल ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि बुलाकी ने उनसे पहले रिपोर्ट की थी।

21. बचाव साक्षी खुशीलाल के अनुसार जब बुलाकी नाली खोद रहा था,तब वह बुलाकी के पास ही खडा था। नंदराम को आते देखा था। नंदराम के हाथ में लाठी थी । नंदराम को लाठी से बुलाकी को मार कर भागते हुये और मौके पर गिरते हुये देखा था। इसी साक्षी का प्रतिपरीक्षण में कथन है कि बुलाकी लोहे की गेंती से नाली खोद रहा था और मिट्टी हटाने के लिये उसके पास फावड़ा था। वे दोनों मिलकर गेंती/फावडे का उपयोग कर रहे थे। रिपोर्ट लिखाते समय वे और बुलाकी दोनों थे।

22. प्रकरण में उपलब्ध प्रदर्श डी–1 के रोजनामचा सान्हा में वर्णित रिपोर्ट अपीलार्थी/आरोपी द्वारा लेख कराया जाना दर्शित है। प्रदर्श डी–1 की रिपोर्ट में उल्लेख है कि उसकी जमीन खेत में नंदराम बरा बना रहा था तो उसने मना किया तो नंदराम उसे लाठी से मारने लगा। वह भाग कर अपने पिता खुशीलाल को बताया था।

23. अभियोजन साक्षी नाथूलाल, नंदराम, इमरत लाल को प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझावों एवं बचाव साक्षी खुशीलाल (आरोपी के पिता) के कथनों से दर्शित होता है कि

अपीलार्थी / आरोपी की ओर से अभियोजन साक्षी गण को प्रतिपरीक्षण में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है और न ही बचाव साक्षी खुशीलाल का ऐसा कोई कथन है कि घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अपीलार्थी / आरोपी बुलाकी की जमीन खेम में नन्दराम (वर्तमान प्रकरण का फरियादी) बरा बना रहा था और जब बुलाकी ने मना किया तो नंदराम ने लाठी से मारपीट किया था। इस प्रकार प्रदर्श डी–1 की बुलाकी द्वारा लेख करायी गई रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी / आरोपी द्वारा लिये गये बचाव के पूर्णतः विपरीत है। इसके अलावा प्रदर्श डी–1 में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि आहत नंदराम आरोपी को मारकर भागा और गिर गया था जिससे उसे चोट आयी थी। बचाव साक्षी खुशी लाल के मुख्यपरीक्षण से दर्शित होता है कि बुलाकी द्वारा नाली खोदने के समय वह बुलाकी के पास खड़ा था जबकि प्रदर्श डी–1 की रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत प्रदर्श डी–1 में उल्लेख है कि बुलाकी ने भागकर अपने पिता खुशी लाल को बताया ।

24. अतः निर्णय के पूर्ववर्ती पैराओं में की विवेचना के दृष्टिगत न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी / आरोपी का यह बचाव अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से न तो प्रमाणित है और न अधिसंभाव्य है कि घटना के समय अपीलार्थी / आरोपी द्वारा नाली खोदते समय / खोदने के कारण आहत नंदराम ने अपीलार्थी / आरोपी के साथ लाठी से मारपीट की और भागते समय गिरने से उसे चोट आयी थी।

25. अतः संक्षेप में निर्णय के पूर्ववर्ती पैराओं में की विवेचना के आधार पर न्यायालय का मत है कि अभियोजन साक्षी नंदराम पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी है और उसकी परिसाक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों में सम्पुष्टि अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य / प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। प्रकरण में अपीलार्थी / आरोपी का बचाव न तो अधिसंभाव्य है और न प्रमाणित है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अपीलार्थी / आरोपी को मिथ्या आलिप्त किया जाना भी प्रमाणित नहीं है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपीलार्थी / आरोपी की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टान्त **शोभ्या उर्फ शोभाराम (पूर्वोक्त)**

मामले की परिस्थितियों में तात्विक भिन्नता के कारण प्रकरण में लागू होता है।

26. अतः संक्षेप में घटना दिनांक, समय व स्थान पर अपीलार्थी/आरोपी द्वारा आहत नंदराम को पत्थर मारकर गंभीर उपहति कारित किया जाना पूर्णतः प्रमाणित है। अतः उक्त सम्बन्ध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष पूर्णतः विधि सम्मत है और अपीलार्थी/आरोपी की धारा 325 भा.दं.सं. के सम्बन्ध में की गई दोष सिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। अतः उक्त सम्बन्ध में विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष की पुष्टि की जाती है।

27. जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है? विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/आरोपी को भा.द.सं. की धारा 325 के तहत चार वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4,000/–रूपये अर्थदण्ड से एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दंडित किया है। वर्तमान मामले की घटना दिनांक 03.11.98 की है अपीलार्थी/आरोपी का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अभिलेख पर की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि घटना पक्षकारों के मध्य नाली खोदने पर के विवाद के कारण हुई है । यह भी स्पष्ट है कि आरोपी घटना के पूर्व किसी आक्रामक आयुध से सुसज्जित नहीं था उसके द्वारा घटना स्थल पर पड़े पत्थर को उठाकर उससे मारपीट किया जाना दर्शित होता है। इसके अलावा घटना अचानक होना दर्शित है। अभिलेख पर से दर्शित होता है कि अपीलार्थी/आरोपी विचारण के दौरान दिनांक 15.01.99 से 23.01.99 एवं निर्णय दिनांक 15. 04.99 से दिनांक 05.07.99 तक निरोध में रहा है। धारा 325 भा.दं.सं. में न्यूनतम कारावास उपबंधित नहीं है।

28. अतः प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपीलार्थी/आरोपी को उसके द्वारा व्यतीत किये गये निरोध की अवधि के कारावास एवं वर्धित अर्थदंड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

29. अतः विचारोपरान्त प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आरोपी को धारा 325 भा.द.सं. के अन्तर्गत उसके द्वारा व्यतीत निरोध की अविध के कारावास एवं 10,000/—रूपये के अर्थदण्ड से एवं व्यतिक्रम में 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया ।

30. अतः निर्णय के पूर्ववर्ती पैराओं में की विवेचना के आधार पर अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा प्रस्तुत अपील दोष सिद्धि के बिन्दू पर निरस्त करते हुये, दण्डादेश के बिन्दु पर अंशतः स्वीकार की गई।

31. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब सम्बंधित विचारण न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजा जावे।

32. अपीलार्थी/आरोपी द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्तानुसार निराकृत की गयी।

(अचल कुमार पालीवाल)
न्यायाधीश

Digitally signed by S
HUSHMAT HUSSAIN
Date: 2025.07.05
14:48:31 +05'30'